साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 06 सितम्बर 2021, वर्ष-7, अंक-23

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

» मप्र गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड ने विज्ञापन जारी कर किया आह्वान

» गाय को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को कठोर कानून बनाना पड़ेगा

» मध्यप्रदेश का हर नागरिक प्रतिदिन दस रुपए गाय के नाम पर दान करे

» स्वामी अखिलेश्वरानंद बोलेः गाय को पशु कहना उसका अपमान करना

गाय हमारी माता

अरविंद मिश्र, भोपाल

मध्य प्रदेश में गायों की सुरक्षा और संवर्धन पर सियासत जारी है। इस बीच राज्य सरकार ने गौवंश पालन के लिए प्रदेश की जनता से सहयोग की अपील की है। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के पालन-पोषण और उनकी सुरक्षा के लिए जनता से चंदा मांगा है। इसके लिए बकायदा मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड की ओर से विज्ञापन जारी कर आम लोगों से सहयोग की अपील की गई है। गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार गौवंश पालन के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन, इसके लिए केवल सरकार अकेले काम नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश का हर नागरिक गाय की सुरक्षा और उसका पालन अपना कर्तव्य समझे। भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है कि हर घर में एक गाय जरूर होना चाहिए, लेकिन आज की आधुनिकता की दौड़ में यह संभव नहीं। लिहाजा मध्य प्रदेश का हर नागरिक अगर प्रतिदिन 10 रुपए भी गाय के नाम पर दान करे तो साल में तकरीबन तीन हजार रुपए दान कर सकता है।

एक दिन का दान करें वेतन

गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड ने दान दाताओं को लुभाने के लिए दान राशि पर आयकर की छूट भी दे दी है। इसके साथ ही दान दाताओं के नाम पशु संवर्धन बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। स्वामी अखिलेश्वरानंद ने प्रदेश की जनता के साथ-साथ अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील की है कि वह भी अपनी 1 दिन का वेतन गोपाष्टमी के दिन गाय के नाम जरूर दान करें।

मप्र में गौशालाओं की स्थिति

22814	203
कुल ग्राम पंचायत	बिजली सुविधा
624	487
पंचायतों में गौशाला	बिजली नहीं
22124	255
पंचायतों में गौशाला नहीं	पानी पर्याप्त
690	435
कुल पंचायतों में गौशालाएं	पानी नहीं

गाय को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को कठोर कानून बनाना चाहिए। गाय को शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है। लेकिन, वर्तमान हालातों में गाय की सुरक्षा ही नहीं की जा सकी है। उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि, उपाध्यक्ष, गौपालन एवं पशुवर्धन संवर्धन बोर्ड मप्र

गौ-पालन के लिए सरकार लेगी चंदा, आयकर में देगी छूट

गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए

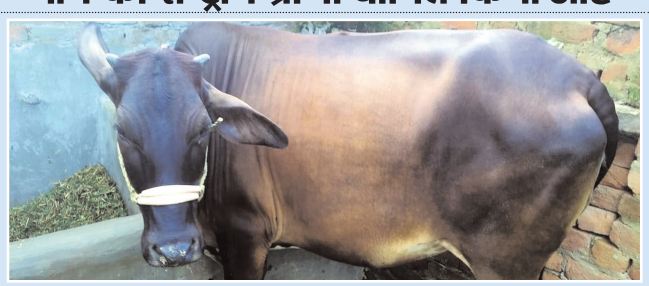

गौपालन एवं पशुवर्धन संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद ने कहा है कि गाय को पशु कहना उसका अपमान करना है। गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाना चाहिए। गाय को प्राणी मानने से लोगों में उसके प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आएगा गाय विश्व के प्राणी मात्र की माता है। उनका यह बयान इलाहाबाद हाई कोर्ट के बयान के संबंध में है। गौरतलब है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए।

मप्र में घट गईं गाय

मध्यप्रदेश में 2012 में 1 करोड़ 96 लाख गायें थीं जो 2019 में घटकर एक करोड़ 87 लाख गाय रह गई हैं। यानी 9 लाख गाय कम हो गई हैं। प्रदेश में 4.42 फीसदी गायों की संख्या में कमी आई है।

625 गौशालाएं क्रियाशील

गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा 2019 की स्थिती में प्रदेश की 627 गौशालाओं का पंजीयन किया जा चुका है। इसमें से 625 गौशालाएं क्रियाशील हैं। उनमें उपलब्ध गौवंश की संख्या लगभग 1,66,967 है।

इनका कहना है

सरकार को हाईकोर्ट की बात माननी चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने को लेकर बिल लाना चाहिए। गाय पशु नहीं है यह माता है, इसलिए सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हरियाणा ही नहीं दूसरे राज्यों में गौशाला बनी हैं। कुछ साल में एक बार फिर गाय सड़कों पर नहीं घरों में दिखने लगेंगी।

श्रवण कुमार गर्ग, अध्यक्ष, गौ सेवा आयोग, हरियाणा

गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, क्योंकि यह तो माता का सम्मान है, अगर राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया जाता है तो कुछ बात का ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि छुट्टा पशुओं की समस्या है तो छुट्टा जानवर भारत सरकार या फिर राज्य सरकारों ने नहीं छोड़े हैं, उन्हें किसानों ने ही छोड़ा है।

डॉ. संजीव वर्मा, वैज्ञानिक, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, मेरठ

राज्य और केंद्र सरकार देशी गायों को बढ़ावा दे रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले कुछ सालों में एक बार फिर लोगों के घरों में देशी गाय दिखाई देंगी, लेकिन किसानों को भी ध्यान देना होगा, तब जाकर देशी गायों का संरक्षण हो पाएगा। अगर गाय दूध भी नहीं दे रही है तब भी उससे जैविक खाद बना सकते हैं।

डॉ. रणवीर सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली

अगर लोग ध्यान दें तो एक बार फिर हर एक घर में गाय मिल सकती है। सरकार भी देशी गायों के संरक्षण पर काम कर रही है। मप्र के चित्रकूट में गौवंश विकास केन्द्र में देशी गायों का संरक्षण किया जा रहा है।

डॉ. राम प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, गौवंश विकास एवं अनुसंधान केंद्र, चित्रकूट

किसान परेशानः देश में गोवंशीय पशुओं की संख्या 192.49 मिलियन है, जबकि मादा गायों की संख्या 145.12 मिलियन है। देश में विदेशी/संकर नस्लों की गायों की संख्या 50.42 मिलियन और स्वदेशी/अवर्गीय की संख्या 142.11 मिलियन है। देश में छुट्टा गौवंश से किसान परेशान हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में गाय को लेकर दिए आदेश और कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। तीन हमारे सुखदाता गीता, गंगा और गौमाता हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। गाय को अनादि काल से पूज्य माना गया है।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री

गाय अत्यंत शुभ है और करुणा और पवित्रता का प्रतीक भी है। गाय हमारी संस्कृति मां है और हमें इस पर गर्व है। गौ मां की रक्षा और उसकी देखभाल करने का संकल्प हम सभी को लेना चाहिए। गौ मां की सेवा के लिए जागरूक करने का काम एक मात्रा संगठन भाजपा कर रही है। राष्ट्रीय पशु गौ माता।

प्रेम सिंह पटेल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री

गाय पालन और उसके संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश सरकार हमेशा सजग रही है। सरकार ने गाय पालन के लिए जो पहल की है वह सराहनीय है। अब जरूरत इस बात की है कि मप्र में संचालित सरकारी गौ शालाओं पर पैनी नजर रखी जाए। चूंकि सरकार गाय के सरंक्षण और पालन के लिए करोड़ों रुपए गौशालाओं को देती है। लेकिन उसका लाभ गायों को नहीं मिल पाता है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए।

इंजी. कुलदीप मिश्रा, पदाधिकारी, आरएसएस

इलाहाबाद हाईकोर्ट

गाय को घोषित करो राष्ट्रीय पशु

इधर, भारत में गाय सबसे चर्चित पशु है। इस बार गाय इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी के बाद चर्चा में है। गौ-हत्या के एक केस की सुनवाई के समय कोर्ट ने कहा है कि गाय भारत की संस्कृति है, राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार को बिल लाना चाहिए। एक सितम्बर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गौ-हत्या रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी को जमानत देने से मना करते हुए कहा कि गाय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि गाय को

मौलिक अधिकार देने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार को संसद में एक विधेयक लाना चाहिए और गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों को दंडित करने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में गौशाला और फर्जी गौरक्षकों पर भी टिप्पणी की। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा, सरकार गोशालाओं का निर्माण भी करवाती है, लेकिन जिन लोगों को गाय की देखभाल करनी होती है, वे उनकी देखभाल नहीं करते हैं। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानून बनाना होगा जो छद्म रूप में गाय की रक्षा की बात गौशाला बनाकर करते तो हैं, लेकिन गौ-रक्षा से उनका कोई सरोकार नहीं है और उनका एकमात्र उद्देश्य गौ-रक्षा के नाम पर पैसा कमाने का होता है।

किसानों को खाद खरीदने अब मिलेगा 'ई-वाउचर'

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर जोर
- गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए ई-रुपी वाउचर व्यवस्था लागू
- सरकार एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर लागू करेगी व्यवस्था

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर और पात्रता अनुसार खाद (यूरिया, डीएपी सहित अन्य) मिल जाए, इसके लिए शिवराज सरकार अब एक नया प्रयोग करने जा रही है। इसके तहत फसल सीजन प्रारंभ होने के पहले ही किसानों को ई-रुपी वाउचर दे दिए जाएंगे। इस वाउचर के माध्यम से किसान अपने हिस्से की खाद पात्रता अनुसार ले सकेंगे। सहकारिता और कृषि विभाग एक जिले में यह पायलट प्रोजेक्ट करेगा। इससे सरकार को यह पता चलेगा कि जिस किसान के नाम पर खाद बेची जा रही है वह वास्तविक हितग्राही है या नहीं। वहीं, सहकारी समितियों के हिसाब-किताब की पड़ताल भी हो जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और गड़बड़ियां पर अंकुश लगाने के लिए ई-वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली ई-रुपी की व्यवस्था को लागू किया है।

कृषि-सहकारिता विभाग ने शुरू की तैयारी

पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खाद आपूर्ति के संबंध में केंद्रीय मंत्री रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने सुझाव दिया था कि प्रदेश केंद्र सरकार की ई-रुपी वाउचर योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर खाद के लिए एक जिले में लागू करे। मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई, जिसके आधार पर कृषि और सहकारिता विभाग ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है।

मिलती है सब्सिडी

कृषि विभाग के अनुसार केंद्र सरकार किसानों को खाद पर काफी अनुदान देती है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से किसानों को स्वीकृत साख सीमा के आधार पर खाद दी जाती है। जो कुल ऋण स्वीकृत होता है, उसमें 25 फीसदी हिस्सा वस्तु के तौर पर मिलता है और बाकी राशि नकद मिल जाती है ताकि वो कृषि से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं कर ले। वस्तु के रूप में किसान खाद (यूरिया और डीएपी) लेते हैं।

खाद आपूर्ति में उजागर हुई थी गड़बड़ी

प्रदेश में खाद की आपूर्ति को लेकर गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिलती हैं। एक साल पहले समिति स्तर पर यूरिया वितरण में गड़बड़ी सामने आई थी। केंद्र सरकार के स्तर से इसकी जांच भी कराई गई थी। इसके बाद सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए कई सुधारात्मक कदम उठाए थे। इसमें पोर्टल पर समितिवार खाद की उपलब्धता प्रदर्शित करना, सीजन शुरू होने के पहले किसान द्वारा खाद की बुकिंग करना सहित अन्य शामिल थे।

इनका कहना है

नई व्यवस्था में किसान को उसकी पात्रता के अनुसार वाउचर जारी करके मोबाइल पर भेजा जाएगा। इससे जब वो खाद लेने के लिए समिति में जाएगा तो उसे वह सेल्समैन को बताएगा। स्कैन करने पर पात्रता का पता चल जाएगा और सामग्री दे दी जाएगी। यह वाउचर लाभार्थी किसी को हस्तांतरित नहीं कर पाएगा। इससे गड़बड़ी की आशंका समाप्त होगी। यह सुनिश्चित हो सकेगा कि जिस किसान की जितनी पात्रता है, उतनी ही खाद दी गई या नहीं। वास्तविक किसान को लाभ मिलेगा।

अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग

खेती-किसानी में अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता मध्य प्रदेश

संवाददाता, भोपाल

कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। उत्पादन के क्षेत्र में सात बार कृषि कर्मण अवॉर्ड लेने और रिकॉर्ड गेहूं का उपार्जन करने के बाद अब खरीफ फसलों की बोवनी पिछले साल से एक लाख 70 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक हुई है। 23 अगस्त तक 144.87 लाख हेक्टेयर बोवनी हो चुकी है। यह सिलसिला अभी जारी है। हालांकि, इस बार प्रदेश में सोयाबीन की फसल का क्षेत्र दो लाख 62 लाख हेक्टेयर घट गया है। इसकी जगह किसानों ने साढ़े चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक धान की फसल ली है। अभी तक 32.89 लाख हेक्टेयर रकबे (क्षेत्र) में धान की बोवनी हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने इस बार 149 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों को बोवनी का लक्ष्य रखा था। यह तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, पर पिछले साल से बोवनी जरूर अधिक हो चुकी है। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक सोयाबीन की 55 लाख 84 हजार हेक्टेयर में बोवनी हो चुकी है। जबकि, पिछले साल 58 लाख 46 हजार हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया था। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस कमी की बड़ी वजह बोवनी के बाद बारिश का न होना है। इसकी वजह से बीज भी खराब हुआ। जो फसल लग गई थी वो बढ़ नहीं पाई।

- एक लाख 70 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक बोवनी
- सोयाबीन का क्षेत्रफल दो लाख 62 हजार हेक्टेयर घटा
- धान का साढ़े चार लाख और मूंगफली का क्षेत्र भी बढ़ा

रिकॉर्डतोड़ धान की बोवनी

प्रदेश में इस बार धान की बोवनी 32 लाख 89 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि, पिछले साल 28 लाख 43 हजार हेक्टेयर में रिकॉर्ड धान की बोवनी हुई थी। धान का क्षेत्र बढ़ने की एक और वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद भी है। इससे किसानों को यह गारंटी रहती है कि उनकी फसल समर्थन मूल्य पर तो बिक ही जाएगी।

अरहर की ओर बढ़ा रुझान

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि धान के क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि और हो सकती है। वहीं, किसानों ने इस बार तुअर (अरहर) की फसल भी दस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक ली है। चार लाख 22 हजार हेक्टेयर में तुअर की बोवनी हो चुकी है। बाजरा भी पिछले साल की तुलना में अधिक लगाया है। मूंगफली का क्षेत्र एक लाख हेक्टेयर बढ़कर तीन लाख 79 हजार हेक्टेयर हो गया है।

इनका कहना है

सरकार किसानों के साथ है और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सोयाबीन का क्षेत्र जरूर कम हुआ है पर धान सहित अन्य फसलों की ओर किसानों का ज्यादा रुझान बढ़ा है।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में 150 किसानों को दिए 10 लाख के कृषि यंत्र- बोले

किसान खेती के परंपरागत तरीकों में लाएं बदलाव, बढ़ेगी आय

संवाददाता, दतिया

प्रदेश सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के अनुरूप समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिये संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा वृंदावन धाम दतिया में आयोजित कृषि यंत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषकों को आधुनिक एवं उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिये, जिससे कि उन्हें अधिकतम आय प्राप्त हो सके। समारोह में अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के 150 किसानों को 10 लाख रुपए की राशि के कृषि यंत्र वितरित किए गए।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सलाह से अधिकतम आय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि परम्परागत कृषि के साथ ही उन्नत एवं आधुनिक तकनीक के संयोजन और नकदी फसलों की खेती से कृषक अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। कृषक वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार उन्नत तकनीकी, गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाएं। सफेद मूसली और अंजीर जैसी अधिक आय देने वाली फसलों को लगाएं। कृषि के परम्परागत तरीकों में बदलाव लाएं। दो फसलों के स्थान पर तीन फसल लेने का प्रयास करें। इससे किसानों को अधिकतम आय प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

वेटरनरी एवं फिशरीज कॉलेज का कार्य शीघ्रता पूरा कराएं

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि नौनेर में निर्माणाधीन वेटरनरी एवं फिशरीज कॉलेज का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आगामी शिक्षण सत्र से कॉलेजों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। कॉलेजों प्रारंभ हो जाने से से क्षेत्र को बहु-आयामी लाभ प्राप्त होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरविंद कुमार ने आश्वस्त किया कि हर हाल में जून-2022 से पूर्व निर्माण कार्य को पूर्ण करा लिया जाएगा, जिससे कि आगामी सत्र में शिक्षण कार्यप्रारंभ किया जा सके। समारोह को कृषि वैज्ञानिकों के साथ ही पूर्व विधायक डॉ. आशाराम अहिरवार, प्रशांत ढेंगुला और गित्री राजा ने भी संबोधित किया। समारोह में डीन डॉ. सुनील कुमार चतुर्वेदी, डायरेक्टर अनिल कुमार, रजनी पुष्पेन्द्र रावत, रामजी खरे, विपिन गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

खेती बचाने 'जलपुरुष' निकालेंगे किसान स्वराज यात्रा

-डॉ. राजेंद्र सिंह ने किया आह्वानः गांधी जयंती से शुरू होकर अहिंसा दिवस पर यात्रा दिल्ली में होगी समाप्त

विशेष संवाददाता, भोपाल

किसानी, जवानी और पानी बचाने के लिए किसान स्वराज यात्रा निकाली जाएगी। इसका आह्वान 'जलपुरुष' के रूप में ख्यात डॉ. राजेंद्र सिंह ने किया है। यह यात्रा मप्र के भोपाल समेत सभी जिला मुख्यालयों से निकलेगी। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी की जयंती (02 अक्टूबर) को होगा। यह यात्रा अहिंसा दिवस पर 26 नंबवर को दिल्ली में समाप्त होगी। इस यात्रा में प्रदेश के किसान, जवान और आम नागरिकों के अलावा सभी राज्यों व उनके जिलों से भी लोग हिस्सा लेंगे। यात्रा का मकसद खेती-किसानी को बचाने, बेरोजगार को रोजगार दिलाने, उनकी समस्याओं को खत्म करने और हर साल गहराते जल संकट से बचने, मप्र समेत सभी राज्यों को पानीदार बनाने की चेतना जगाने का है। जल पुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह अपने सहयोगी संजय सिंह व अन्य के साथ हाल ही में भोपाल प्रवास पर आए थे। उन्होंने यहां चेतना यात्रा में भागीदारी के लिए स्थानीय जनसंगठनों से बातचीत की। इसी दौरान एक खास चर्चा के दौरान जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के लिए बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मूलभूत सुधार की जरूरत है। कम से कम किसानों के साथ उनकी जमीन के मामले में कोई दखल नहीं होना चाहिए। वे अपनी जमीन के अधिकारों को लेकर स्वतंत्र हों। ऐसा कोई भी प्रतिबंध न लगे कि उन्हें जमीन बेचने व अनुबंध के लिए मजबूर होना पड़े। किसान जो फसल उगा रहे हैं, उसमें उन्हें मदद मिले, फसलों का दाम ठीक से तय हो, उन्हें किसी भी स्तर पर नुकसान न हो, इसके इंतजाम होने चाहिए। किसानों की जमीन पर जबरन किसी दूसरे पक्ष का दबाव न हो। चेतना यात्रा में यही बातें समझाई जाएंगी।

रोजगार का संकट

उन्होंने कहा कि हम सब युवा भारत के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन युवाओं के साथ दिक्कतें हैं। जितने रोजगार हैं उतने में सभी को रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगार युवा अवसादों से घिर रहे हैं। पढ़े-लिखे युवा दूसरे देशों में जाने को मजबूर हैं। जो दूसरे देशों में नहीं जा रहे हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर भी रोजगार की तलाश है जो पूरी नहीं हो पा रही है। यह बड़ा संकट है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए चेतना जगा रहे हैं।

मप्र पानीदार राज्य

डॉ. राजेंद्र सिंह और उनके सहयोगी संजय सिंह ने कहा कि मप्र पानीदार राज्य है। दूसरे राज्यों की तरह मप्र में पानी का बहुत सकट नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीते सालों में प्राकृतिक जल संसाधनों का दोहन हुआ है, उस स्थिति से जल चक्र गड़बड़ाने लगा है। इस स्थिति को नहीं रोका गया तो जल संकट और गहरा सकता है। आम आदमी के हाथों से पानी चला जाएगा। जल जन जोड़ो अभियान और पानी बिरादरी से जुड़कर सालों से काम कर रहे संजय सिंह का कहना है कि चेतना यात्रा में इन सभी विषयों को लेकर आम नागरिकों से बातचीत की जाएगी। सभी को प्राकृतिक जल संसाधनों को बचाने के प्रति जागरूक किया जाएगा।

-शिवराज सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय से किया एमओयू

मप्र में गन्ना, धान, मक्का से बनेगा एथेलॉल, दौड़ेंगी गाड़िया

पांच जिलों में लगेंगे उद्योग, किसानों को होगा सीधा लाभ

संवाददाता, भोपाल

महंगे होते डीजल और पेट्रोल ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कोरोना के बाद लोगों के पास आय के साधन घटे हैं तो महंगाई से लोग हलकान है। एसे में सरकार ने ईंधन की कीमत कम करने के लिए एथेनॉल को ईंधन में मिलाने की योजना बनाई है। जिससे बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके। अभी देश में एथेनॉल का उत्पादन मांग के अनुसार बहुत कम है। एसे में देश में कई इलाकों का चयन कर एथेनॉल उत्पादन इकाई लगाने की तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, दतिया, होशंगाबाद सहित पांच जिलों में एथेनॉल तैयार करने के उद्योग लगाए जाएंगे। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, पर मक्का, चावल सहित शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। इन फैक्ट्रियों में गन्ना, धान, मक्का से एथेनॉल बनाने का काम किया जाएगा। एथेनॉल लेने का काम पेट्रोलियम मंत्रालय करेगा। इसके लिए मप्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय से एमओयू किया है। एथेनॉल उद्योग से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलने के साथ ही गन्ना और मक्का की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

किसानों की आय होगी दोगुना

किसान बेहतर गुणवत्ता फसलें महंगे दामों पर बड़े बाजार, शुगर मिलों में बेच सकेंगे। तीसरे स्तर का जो गन्ना, धान और मक्का होगा, उसे इन उद्योगों को सप्लाई कर सकेंगे। इससे किसानों की आय दोगुनी हो सकेगी। ज्यादा विकल्प होने से वे अपनी फसल के दाम खुद तय करने का निर्णय ले सकेंगे। किसान धीरे-धीरे मक्के की खेती कम करते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उसे समर्थन मूल्य पर खरीदना बंद कर दिया है। डी-ग्रेड की धान और चावल के वाय प्रोडक्ट को भी किसान एथेनॉल उद्योगों को बेच सकेंगे, जो वर्तमान में किसान की व्यापारियों को औने-पौने दामों में बेच देते हैं।

केंद्र सरकार ने खरीदने की दी गारंटी

केंद्र सरकार ने एथेनॉल खरीदने के लिए गारंटी देने की योजना बनाई है। एथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों को सीधा फायदा होगा। क्योंकि शुगर मिलों के पास से आसानी से पैसा मिल जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने समझौता किया है।

इनका कहना है

किसानों की आय बढ़ाने के लिए एथेनॉल उद्योग जाएंगे। यह उद्योग उन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जहां धान गन्ना और मक्के की खेती ज्यादा होती है। इस उद्योग से किसानों को उनकी उपज की दोगुनी कीमत मिलेगी। इससे प्रदेश में लगभग एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा। करीब पांच करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का अनुमान है।

कमल पंटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री

मंडियों के विकास पर ब्रेक

चार सौ करोड़ मंडी शुल्क बकाया

प्रदेश की मंडियों में कर्मचारियों को पड़े वेतन के लाले

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में किसानों की आय 2022 तक दो गुना करने का राग अलापने से अच्छे दिन नहीं आएंगे। दरअसल, प्रदेश सरकार द्वारा मंडियों को करोड़ों रुपए के टैक्स की राशि का भुगतान अब तक नहीं किए जाने से मंडियों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खासतौर पर सी ग्रेड की मंडियों की हालत ज्यादा खराब है।

राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के बाद मंडी बोर्ड को मंडी शुल्क का भुगतान ही नहीं किया है। मंडी बोर्ड को सरकार से गेहूं, धान के साथ ही अन्य फसलों की खरीदी पर लगभग सवा चार सौ करोड़ से भी अधिक मंडी शुल्क लेना है। यह राशि नहीं मिलने से प्रदेश की मंडियों में करीब पांच माह से कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। गौरतलब है कि कृषि उपज मंडियां खरीदी बिक्री पर डेढ़ रुपए शुल्क वसूलती हैं। सरकार ने इस साल गेहूं, बाजरा और धान के साथ ही अन्य फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी है, लेकिन अब तक मंडी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। यही वजह है कि मंडी शुल्क नहीं मिलने से मंडियों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है।

चार-पांच माह से नहीं मिला वेतन

सरकार से टैक्स की राशि नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को चार-पांच माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है। इससे अब कर्मचारियों में आक्रोश भी पनप रहा है। वहीं अन्य खर्चों और रख-रखाव के लिए भी उन्हें भटकना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा हालात सी ग्रेड के मंडियों की है। इनकी संख्या प्रदेश में लगभग पचास से भी ज्यादा है।

अर्थव्यवस्था चरमराई

केंद्र सरकार के नए मंडी एक्ट से प्रदेश की कृषि उपज मंडियों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यही नहीं, माफियाओं की आय आधे से भी कम रह गई है। मंडी टैक्स से बोर्ड को तकरीबन बारह सौ करोड़ रुपए हर साल मिलता था, लेकिन अभी तक छह सौ करोड़ रुपए भी नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में टैक्स नहीं मिलने के कारण विकास के काम भी अटक गए हैं।

बढ़ती जा रही सरकार से लेनदारी

राज्य सरकार ने चार साल पहले किसानों को बोनस देने के लिए मंडी बोर्ड से पांच सौ करोड़ रुपए लिए थे। यह राशि अब तक वापस नहीं की गई। इसके पहले भी सरकार अलग-अलग सालों में लगभग छह सौ करोड़ रुपए ले चुकी है। जिसे भी अब तक वापस नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार पर बोर्ड की लेनदारी लगातार बढ़ती जा रही है और मंडिया आर्थिक नुकसान झेल रही हैं।

भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग गाय

पंकज चतुर्वेदी,
पर्यावरण विशेषज्ञ

पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि गौमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है। यह कृषि की रीढ़ है। गाय का मल एवं मूत्र असाध्य रोगों में लाभकारी है। इसकी हत्या की इजाजत देना ठीक नहीं। हाई कोर्ट ने वैदिक, पौराणिक, सांस्कृतिक महत्व एवं सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है।

पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि गौमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है। यह कृषि की रीढ़ है। गाय का मल एवं मूत्र असाध्य रोगों में लाभकारी है। इसकी हत्या की इजाजत देना ठीक नहीं। हाई कोर्ट ने वैदिक, पौराणिक, सांस्कृतिक महत्व एवं सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। देखा जाए तो कोर्ट ने यह टिप्पणी महज भावनात्मक आधार पर नहीं की है। यह बात वैज्ञानिक और व्यावहारिक तौर पर सही है कि यदि गाय को सहेजा जाए तो इससे प्रकृति और समाज दोनों को बचाया जा सकता है। गौ-संरक्षण को यदि नारों से आगे ले जाकर हकीकत बनाया जाए तो इससे भारत के कई संकटों-बढ़ती आबादी-घटते रकबे, कुपोषण, बेरोजगारी और प्रदूषण का समाधान हो जाएगा। हालांकि गौ-वंश संरक्षण के लिए गौशालाएं खोलने के बजाय उन्हें पूर्व की भांति हमारी सामाजिक-आर्थिक धुरी बनाना होगा। गौ-रक्षा के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को यह बात जान लेनी चाहिए कि अब केवल धर्म, आस्था या देवी-देवता के नाम पर गाय को बचाने की बात न तो व्यावहारिक है और न तार्किक। गंभीरता से देखें तो खेती को लाभकारी बनाने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सभी को पौष्टिक भोजन मुहैया करवाने की मुहिम गौ-वंश पालन के बिना संभव नहीं है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही गौ-वंश मनुष्य के विकास पथ का सहयात्री रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले अवशेष साक्षी हैं कि पांच हजार साल पहले भी हमारे यहां गौ-वंश पूजनीय थे। आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार गौ-वंश है। हालांकि भैंस के बढ़ते प्रचलन तथा कतिपय कारखाना मालिकों एवं पेट्रो-उद्योग के दबाव में गांवों में अब टैक्टर और अन्य मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, लेकिन यह बात अब धीरे-धीरे समझ आने लगी है कि छोटे किसानों के लिए बैल न केवल किफायती, बल्कि धरती एवं पर्यावरण के संरक्षक भी हैं। अनुमान है कि देश में बैल हर साल एक अरब 20 करोड़ घंटे हल चलाते हैं। सरकारी अनुमान है कि आने वाले आठ वर्षों में भारत में करीब 27 करोड़ बेसहारा मवेशी होंगे। यदि उन्हें सलीके से सहेजें तो हमारे पास इस पशुधन का बड़ा भंडार हो जाएगा। भारत की गाय का दुग्ध उत्पादन दुनिया में सबसे कम है। हमारे देश में एक गाय सालाना 500 लीटर से भी कम दूध देती है। जबकि डेनमार्क में दूध देने वाली प्रत्येक गाय का सालाना उत्पादन औसत 4,101 लीटर है। यह आंकड़ा स्विट्जरलैंड में 4,156 लीटर, अमेरिका में 5,386 और इंग्लैंड में 4,773 लीटर है। जाहिर है कि भारत में गाय पालना घाटे का सौदा है। यही वजह है कि जब गाय दूध देती है तब तो पालक उसे घर पर रखता है और जब वह सूख जाती है तो सड़क पर छोड़ देता है। हमें गाय की ऐसी नस्लों पर फोकस करना चाहिए जिनसे अधिक से अधिक दूध हासिल हो सके। ऐसा नहीं है कि पहले बूढ़ी गाय हुआ नहीं करती थीं, लेकिन तब चारे के लिए देश के हर गांव-मजरे में जो जमीन, तालाब और जंगल हुआ करते थे वे आधुनिकता की भेंट चढ़ गए। तालाब पाट दिए गए। जंगल भी काट लिए। जाहिर है कि ऐसे में निराश्रित पशु आपके खेत के ही सहारे रहेंगे। सर्वविदित है कि गाय पालन को बढ़ावा देकर हम दूध एवं उसके उत्पाद को बढ़ा सकते हैं। इससे हमें कम कीमत पर पौष्टिक आहार मिल सकता है। बैल का खेती में इस्तेमाल डीजल पर हमारे खर्च को बचा सकता है। साथ ही यह डीजल से संचालित ट्रैक्टर, पंप और अन्य उपकरणों से होने वाले घातक प्रदूषण से भी निजात दिलवा सकता है। वहीं छोटे रकबे के किसान के लिए बैल का इस्तेमाल ट्रैक्टर के मुकाबले सस्ता और पर्यावरण हितैषी होता है। गोबर और गौ-मूत्र का खेती-किसानी में इस्तेमाल न केवल लागत कम करता है, बल्कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ-साथ उसमें कार्बन की मात्र को नियंत्रित करने का भी बड़ा जरिया है। फसल अवशेष जलाना इस समय देश की एक बड़ी समस्या बन गई है। गौ-वंश के इस्तेमाल बढ़ने पर यह उनके आहार में उपयोग हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व वैज्ञानिकता से परे भावनात्मक बातों से गाय पालना चाहता है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में ही घोषणा की गई कि मिड डे मील का भोजन लकड़ी की जगह गाय के गोबर से बने उपलों पर पकेगा। असल में उपलों को जलाने से ऊष्मा कम मिलती है और कार्बन तथा अन्य वायु-प्रदूषक तत्व अधिक निकलते हैं। इसकी जगह गोबर का खाद के रूप में इस्तेमाल ज्यादा परिणामदायी होता है। यह तथ्य सरकार में बैठे लोग जानते हैं कि भारत में मवेशियों की संख्या कोई तीस करोड़ है। इनसे लगभग 30 लाख टन गोबर हर रोज मिलता है। इसमें से तीस प्रतिशत को कंडा/उपला बनाकर जला दिया जाता है। वहीं ब्रिटेन में गोबर गैस से हर साल 16 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। चीन में डेढ़ करोड़ परिवारों को घरेलू ऊर्जा के लिए गोबर गैस की सप्लाई होती है। यदि हमारे देश में भी गोबर का सही इस्तेमाल हो तो हर साल छह करोड़ टन के लगभग लकड़ी और साढ़े तीन करोड़ टन कोयले को बचाया जा सकता है। इससे तमाम लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। जाहिर है देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पशुधन को सहेजने के प्रति दूरदर्शी नीति और कार्ययोजना समय की मांग है। आज भी भारत की राष्ट्रीय आय में पशुपालकों का प्रत्यक्ष योगदान छह फीसद है। गाय पर कोई दया न दिखाए, बस उसकी क्षमता का देश के लिए इस्तेमाल करें। जरूरत है सरकारें इलाहाबाद हाई कोर्ट की बातों का मर्म गाय मात्र आस्था का विषय नहीं, अपितु अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा मसला है। इसलिए गाय पालना जरूरी है।

वैक्सीन की प्रथम डोज आंशिक, दूसरी डोज मतलब पूरी सुरक्षा

जीएस वाधवा, अधिकारी जनसंपर्क, मप्र

कोरोना महामारी के विरुद्ध पूरी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए वैक्सीनेशन काफी कारगर साबित हो रहा है। वैज्ञानिक तथ्य भी यही कहते हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज समय पर लग जाने से व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की संभावना 93 प्रतिशत तक घट जाती है। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों की मृत्यु की संभावना भी नगण्य हो जाती है। प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए संवेदनशील राज्य सरकार लक्षित समूह को वैक्सीन का सुरक्षा कवच देने के लिए कटिबद्ध है। वैक्सीनेशन का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर अगस्त में दो दिवसीय टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर ने विश्व के अधिकांश देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। कोरोना काल में अनेकों ने अपनी जान भी गंवाई। कोरोना के साथ लड़ाई में भारत ने कम समय में स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर एक अनूठा उदाहरण पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। वैक्सीन का निर्माण जितनी तेजी से किया गया, उतनी ही रफ्तार से प्रदेशों में वैक्सीन पहुंचाई भी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सबको वैक्सीन-नि:शुल्क वैक्सीन मंत्र देकर वैक्सीन तक सभी की पहुंच सुनिश्चित की। वैक्सीन की उपलब्धता के साथ उसके उपयोग में मध्यप्रदेश पूरे राष्ट्र में अग्रणी रहा। कोरोना महामारी से बचाव के तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए कोविड-19 के दोनों डोज लगवाना अत्यन्त आवश्यक है। कोविड-19 टीके का प्रथम डोज मनाव शरीर में आंशिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके लगने के बाद भी संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। वैक्सीन का द्वितीय डोज समयावधि में लगवाने से वैक्सीन की एफिकेसी सर्वाधिक रहती है। प्रदेश में अभी दो प्रकार की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है। चिकित्सकीय एवं वैज्ञानिक आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन की प्रथम डोज लेने के 84 दिन बाद द्वितीय डोज और कोवैक्सीन की प्रथम डोज लेने के 28 दिन बाद द्वितीय डोज लेना जरूरी है। वैक्सीन की द्वितीय डोज लगने के 2 से 3 सप्ताह बाद ही शरीर में कोरोना बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है। साथ ही शरीर एक से अधिक प्रकार की एंटीबॉडी तैयार करता है जो कोरोना और उसके अन्य वेरिएंट के विरुद्ध बचाव करने में सहायक होती है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सिर्फ सरकार की ही नहीं, समाज की जिम्मेदारी भी है। हर नागरिक को स्व-प्रेरणा से आगे आकर सरकार द्वारा दिए जा रहे वक्सीन के सुरक्षा कवच को अपनाना होगा। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि मध्यप्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए चलाए गए प्रथम टीकाकरण महाअभियान में राष्ट्रीय स्तर पर जो सफलता मिली, उसमें जन-भागीदारी की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। कोरोना वायरस के प्रति अनुकूल व्यवहार को अपनाते रहना होगा, जिसमें मास्क लगाना, हाथों को समय-समय पर सेनेटाइज करना, ज्यादा भीड़-भाड़ न करना और न ही उसमें शामिल होने जैसी गतिविधियों को अपनाते रहना होगा। तभी हम अपने आपको और समाज को कोरोना वायरस से बचा पाएंगे। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिये जो भगीरथी प्रयास किए वह किसी से छिपे नहीं हैं।

अब खेतों में भी 'उगाई' जा सकेगी वैक्सीन, खाद्य पदार्थों के रूप में मिलेगी डोज

मुकुल व्यास

आने वाले समय में लोग खाद्य पदार्थों के रूप में भी वैक्सीन की डोज लेने लगेंगे। पौधों पर आधारित वैक्सीन का विचार चौंकाने वाला है, लेकिन एकदम नया नहीं है। वैज्ञानिकों का ख्याल है कि हमें पौधों पर आधारित वैक्सीन विकसित करने केप्रयास करने चाहिए।

कनाडा में क्यूबेक स्थित लवाल विश्वविद्यालय के दो रिसर्च, फास्टर-बोवेंडो और गेरी कोबिंगर ने साइंस पत्रिका में लिखा है कि इस तरह की वैक्सीन क्लॉलिक्यूलर फार्मिंग के जरिए बनाई जा सकती है। इस विधि में पौधे की कोशिका में डीएनए रखा जाता है, जो प्रोटीन बनाता है। इस कोशिका का उपयोग वैक्सीन बनाने के लिए किया जाता है। दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जूझ रही है। लोगों को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। वैज्ञानिक और प्रभावी वैक्सीन की तलाश में भी जुटे हुए हैं। उनकी कोशिश एक ऐसी समग्र वैक्सीन विकसित करने की है, जो सभी तरह के कोरोना वायरसों के खिलाफ प्रभावी सिद्ध हो। इन्हीं प्रयासों के तहत कुछ वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की वैकल्पिक किस्मों पर रिसर्च आरंभ की है। अपने रिसर्च पेपर में फास्टर-बोवेंडो और कोबिंगर ने कहा है कि पौधों पर आधारित वैक्सीन का विकास एक बहुत अच्छी एप्रोच है।

वैक्सीन आम तौर पर बैक्टीरियाई सिस्टम में उत्पन्न की जाती है। ऐसे सिस्टम को बायोरिएक्टर कहा जाता है। ऐसी वैक्सीनों की उत्पादन लागत बहुत ज्यादा होती है। वैक्सीन की बायोमैन्युफैक्चरिंग के विकल्प के तौर पर वैज्ञानिकों ने 1986 में मॉलिक्यूलर फार्मिंग का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए वैज्ञानिकों को सिर्फ ग्रीनहाउस सेटअप की आवश्यकता पड़ती है, जो बायोरिएक्टरों की तुलना में बहुत सस्ते पड़ते हैं। रिसर्चरों का कहना है कि पौधों पर आधारित वैक्सीन बनाना सस्ता पड़ेगा और इसके दूसरे लाभ भी होंगे। एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि इस तरह की वैक्सीन बनाने के लिए संसाधनों की तलाश पर अधिक ध्यान नहीं देना पड़ेगा। वैक्सीनों को बायोरिएक्टरों में तैयार करने के बजाय खेतों की फसलों में उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा बड़ा फायदा खुद पौधों के स्वरूप से है। पौधे मानव रोगाणुओं द्वारा संक्रमित नहीं हो सकते। इसके अलावा पिछली रिसचज़ से पता चलता है कि पौधों पर आधारित वैक्सीन दूसरी विधियों से तैयार वैक्सीनों की तुलना में ज्यादा तगड़ा इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करती हैं। सामान्य विधियों की तुलना में पौधों पर आधारित वैक्सीन का उत्पादन ज्यादा होता है। एक और खास बात यह है कि कुछ मामलों में वनस्पति आधारित वैक्सीन को एक खाद्य उत्पाद के रूप में सीधे दिया जा सकता है।

इस समय गौशे रोग के इलाज के लिए इस तरह की वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। लीवर और स्प्लीन जैसे शरीर के कुछ अंगों में वसायुक्त पदार्थों के जमाव से गौशे रोग होता है। इन पदार्थों के जमा होने से इन अंगों का आकार बढ़ जाता है। वसायुक्त पदार्थ हड्डियों के ऊतकों में भी जमा होने लगते हैं, जिनसे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रेक्चर का खतरा बढ़ जाता है। गौशे रोग के इलाज में प्रयुक्त होने वाला ग्लूकोसेरिब्रोसिडेस नामक एंजाइम गाजर की सेल कल्चर में उत्पन्न होता है। अमेरिका के सेंटसज़ फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के अनुसार, फ्लू वैक्सीनों के निमाज़्ण के लिए अंडा-आधारित विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि 70 साल पुरानी है। वैक्सीन के कैंडिडेट वायरसों को मुर्गीज़ के निषेचित अंडों में प्रविष्ट किया जाता है। इन अंडों को कई दिनों तक सेना पड़ता है ताकि वायरस रेप्लिकेट हो जाएं। इसके बाद अंडों से वायरस युक्त द्रव्य निकाल लिया जाता है। इस द्रव्य से वैक्सीन बनाई जाती है। दुनिया में कोरोना महामारी फैलने से पहले इन्फ्लुएंजा की वनस्पति-आधारित वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका था और उसके उत्साहवधज़क नतीजे सामने आए थे। इस समय एक रिसर्च टीम कोविड-19 के लिए वनस्पति आधारित वैक्सीन पर भी काम कर रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि औषधियों के नियमन के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्थाओं को वनस्पति-आधारित वैक्सीन के लाभों को समझना चाहिए ताकि इन्हें अपनाने के लिए उचित दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकें। प्रारंभिक अध्ययनों से यह तथ्य उभरकर सामने आये हैं कि जिनको कोविड-19 के टीके की केवल पहली डोज ही लग जाती है, उनके संक्रमित होने की संभावना कम होती है और यदि संक्रमित हो भी जाएं, तो गंभीर रूप से बीमार नहीं होते। कोविड-19 टीका महामारी से बचाव के लिए सबसे जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए टीकाकरण में पहले और दूसरे चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, एफएलडबल्यू, 60 साल से अधिक उम्र और 45 से 59 वर्ष आयु के कोमार्विड को टीके लगाए गए।

किसानों का बढ़ने लगा टेंशन

अब धान में लगने लगा ब्लास्ट रोग

संवाददाता, होशंगाबाद

नर्मदापुरम जिले में इस बार अच्छी बारिश से बेहतर फसल की उम्मीद थी। समय पर खरीफ की बोवनी करने के बाद लगातार बारिश से धान की फसल लहलहाने लगी है, लेकिन अचानक मौसम में गर्मी के कारण धान की फसल में ब्लास्ट रोग लगने से किसानों के चेहरे मुरझाने लगे हैं। अच्छी खासी धान की फसल भी अब ब्लास्ट रोग की चपेट में आने लगी है। जिले में इस बार किसानों ने एक लाख 50 हजार में धान लगाई है, जिसमें सबसे अधिक क्रांति धान है। इसके अलावा 1121, पूसा वन, 1718 सी 30, 1637 किस्म की धान की बोवनी की गई है।

पौधे की गर्दन पर अटैक

किसान बता रहे हैं कि धान की गर्दन पर जहां ब्लास्ट रोग ने अटैक कर दिया है तो इसकी जड़ों और तने पर बीबीएच जिसे काला महू भी कहा जाता है उसका भी असर बन रहा है। कृषि विज्ञानियों से लेकर किसान तक यह मान रहे हैं कि पिछले एक-दो दिन में जिस तेजी से ब्लास्ट रोग पैर पसार रहा है। उसको देखते हुए इस बार बासमती धान की पैदावार में गिरावट आने की संभावना है। पौधे की गर्दन पर ब्लॉस्ट सवार है।

समय पर उपाय जरूरी

कृषि अधिकारियों का कहना है कि धान की फसल में रोग लगते ही हैं। समय रहते दवाइयों का छिड़काव करना आवश्यक रहता है। किसानों ने बताया कि जिले के हर ब्लाक में धान लगाई है। डोलरिया क्षेत्र में फसल ठीक है। बाबई ब्लाक में ब्लास्ट की शुरुआत है।

क्या है ब्लास्ट रोग

कृषि विशेषज्ञ किशोर उमरे के अनुसार ब्लास्ट एक तरह की बीमारी है, जो धान के पौधे में बाली के पहले होती है। इसलिए इसे नेक ब्लास्ट या गर्दनतोड़ भी कहते हैं। इसमें बाली के पास पौधा काला पड़ने लगता है उसमें दाने भरना बंद हो जाता है और बाली सूखने लगती है।

बासमती पर ज्यादा अटैक

किसान केशव गौर ने बताया कि धान की बासमती वैरायटी पूसा.1 पर ब्लास्ट का ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। इसमें करीब 20 फीसदी तक असर दिखाई दे रहा है। वहीं 1121 पर भी अब इसका असर शुरू होने लगा है और इसमें करीब 10 फीसदी तक फिलहाल असर देखा जा रहा है। वही सी 30 में कोई असर नहीं है।

कर रहे दवा का छिड़काव

किसान नरेंद्र पटेल ने बताया कि वर्तमान में धान में कीटनाशक दवा डाल रहे हैं। पर उसका कोई खास असर नहीं हो रहा है। बादल और गर्मी के असर से यह रोग तेजी से बढ़ता है। कृषि अधिकारियों ने ब्लास्ट के लिए ट्राइसाइक्लोजोल दवा बताई है उसे डाल रहे हैं।

इनका कहना है

धान में जो ब्लास्ट का रोग लग रहा है वह दवा के छिड़काव से ही ठीक होगा। उसके असर से फिर से पत्ती हरी भरी हो जाएगी। फसल ग्रोथ करने लगेगी। फसल में बाली आने वाली है उससे पूर्व इस तरह के रोग लगने की संभावना बनी रहती है, लेकिन उपचार हो जाता है।

किशोर उमरे, कृषि विस्तार अधिकारी

धान की फसल में अनेक तरह के रोग लगते हैं, जिनमें दाने आने के पहले तक ग्रीवा गलन गर्दन तोड़, बदरा रोग सहित अन्य तरह की बीमारियां हो जाती। वर्तमान समय गर्दन तोड़ रोग जिसे ब्लास्ट कहते हैं। उसके निदान के लिए ट्राइसाइक्लोजोल का छिड़काव फायदेमंद रहता है। उसके छिड़काव की जरूरत बनने लगी है।

डॉ. एके शर्मा, कृषि वैज्ञानिक

सोयाबीन पर पीला मोजेक वायरस और फफूंद की मार

»प्रदेश में इस साल भी घट सकता है सोयाबीन का उत्पादन

संवाददाता, भोपाल

पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश थमी हुई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि मानसून फिर सक्रिय होगा, लेकिन बारिश लंबे अंतराल के कारण प्रदेश के बड़े हिस्से में सोयाबीन की फसलें प्रभावित होने लगी हैं। खासकर ऐसे जिले जहां जून के पहले अथवा दूसरे सप्ताह में बोवनी कर दी गई थी। ऐसे स्थानों पर जल्दी पकने वाली फसल में सोयाबीन अब पकने की स्थिति में है। बारिश नहीं होने से इल्लियां, फफूंद या अन्य रोग होने की आशंका बनी हुई है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च सेंटर, इंदौर के वैज्ञानिक डॉ. बीयू दुपारे कहते हैं, जिन जिलों में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, वहां जमीन में दरार पड़ने के पहले ही सिंचाई की जाना चाहिए। यदि सिंचाई स्प्रिंकलर के माध्यम से की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे।

सोयाबीन में सिंचाई के परंपरागत तरीकों से बचना चाहिए। ऐसे किसान जो अभी सिंचाई की स्थिति में नहीं हैं वे पोटेशियम नाइट्रेट या मैग्नेशियम कार्बोनेट या ग्लिसरॉल का छिड़काव कर सकते हैं। प्रदेश के ऐसे स्थान जहां पर जल्दी पकने वाली किस्म जेएस 9560 लगाई है। यदि इस बीज की जून के मध्य में बोवनी हुई है तो वहां फसल पकने की स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में फसल को चूहों से बचाना जरूरी है। ऐसे स्थानों पर जिंक फास्फाइड मिले आटे की रोटियां रखना चाहिए। कुछ स्थानों पर फफूंद की शिकायतें भी मिल रही हैं। वहां फसल को बचाने के लिए टेबूकोनाजोल या इसे सल्फर के साथ मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इधर, लगातार सोयाबीन की फसल में परेशानी के चलते पिछले साल की तुलना में इस साल सोयाबीन का रकबा कम हो गया है। फफूंद और वायरस के अटैक से उत्पादन इस साल भी प्रभावित हो सकता है।

देरी से पकने वाली फसल

ऐसे किसान जिन्होंने देरी से पकने वाला बीज लगाया है। यदि उन जगहों पर फूल आने की स्थिति है तो इन फसलों को इल्लियों से बचाने के लिए लैम्बड़ा सायहलोथ्रिन या इंडोक्सार्ब या फ्लूबेंडियामाइड या स्पायनेटोरम या क्लोरएंट्रानिलिप्रोल का छिड़काव करना चाहिए। जबलपुर व भोपाल संभाग के कुछ जिलों में आरवीएस 2034 किस्म की फसल लगाई है। इन संभाग कि किसानों को फफूंद की चिंता ज्यादा सता रही है।

पीला मोजेक वायरस भी सक्रिय

इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, विदिशा सहित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पीला मोजेक वायरस या सोयाबीन मोजेक वायरस देखा जा रहा है। इससे पत्तियों का पीलापन बढ़ता है और पत्तियां सिकुड़कर टेढ़ीमेढ़ी हो जाती है। इसे सफेद मक्खी अन्य पौधों तक पहुंचा देती है, जिससे फसल खराब होती है। ऐसे पौधों को तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। साथ ही सफेद मक्खी से बचाने के लिए पीला स्टिकी टैप लगाया जाना चाहिए। इससे बचने के लिए थायमिथोक्सम व लैम्बड़ा सायहेलोथ्रिन का छिड़काव करना चाहिए।

सागर में बनेगा बुंदेलखंड अंचल का वन्य जीव अभयारण्य

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश के सागर जिले में नया वन्य जीव अभयारण्य बनेगा। बुन्देलखंड अंचल के प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए यह अनूठा उपहार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की विगत दिनों हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को विस्तार देते हुए प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्रों में 10 नवीन अभयारण्य बनाए जाने के निर्देश के पालन में वन विभाग ने यह महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग द्वारा उत्तर सागर वन मण्डल का 25 हजार 864 हेक्टेयर (25864 वर्ग किमी) क्षेत्र अभयारण्य के लिए चुना गया है। इसका मुख्यालय सागर और नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य उत्तर सागर होगा।

राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में दी गई सैद्धांतिक मंजूरी

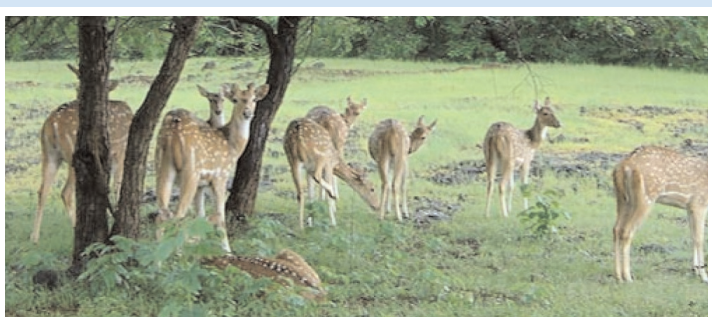

88 गांव वनों पर आश्रित

प्रस्तावित अभयारण्य के 5 किमी की परिधि में 88 ग्राम है जिनकी निस्तार व्यवस्था वनों पर आश्रित है। अभयारण्य क्षेत्र में 98.202 घन मीटर इमारती एवं 236 घनमीटर जलाऊ काष्ठ की अनुमानित राशि वार्षिक क्रमश: 42 लाख एवं 4.96 लाख रुपए प्रभावित होना ऑकी गई है।

डेढ़ करोड़ होंगे खर्च

अभयारण्य के लिए 42 अधिकारी-कर्मचारियों की तैनाती होगी। इनमें एक उप वन मंडल अधिकारी के अलावा वनक्षेत्रपाल, वनपाल और वन रक्षक के 41 पद प्रस्तावित किए गए हैं। अमले पर वार्षिक अनुमानित व्यय एक करोड़ 48 लाख आएगा।

मप्र ने केंद्र से मांगी 2041 करोड़ बाढ़ राहत

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में ग्वालियर-चंबल संभाग एवं विदिशा जिले में पिछले महीने दो और तीन अगस्त को आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने एसडीआरएफ (राज्य आपदा कोष)के तहत केंद्र से 2041 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता मांगी है। राज्य शासन ने बाढ़ की 140 पेज की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। जिसमें बताया है कि बाढ़ से 9 जिलों में निजी संपत्ति के साथ-साथ पब्लिक सेक्टर को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। भीषण आपदा में 1878 किमी सड़कें एवं 1583 पुल, पुलिया बह गए हैं। जिनके पुर्ननिर्माण के लिए 978 करोड़ रुपए चाहिए। पब्लिक सेक्टर को सुधारने के लिए 1573.75 करोड़ की मांग की गई है। साथ ही निजी क्षेत्र को राहत देने के लिए 505 करोड़ से ज्यादा मांगे हैं। बाढ़ से 35 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। हालांकि केंद्र को भेजी रिपोर्ट में बताया है कि बाढ़ से एक भी जनहानि नहीं हुई है। रिपोर्ट में दावा किया है कि बाढ़ प्रभावित 9 जिले शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, अशोकनगर, गुना एवं विदिशा में 2 एवं 3 अगस्त को औसत से 2805 फीसदी ज्यादा बारिश हुई। जिससे बाढ़ के हालात बने। बाढ़ प्रभावित जिलों में 22 विभागों ने मिलकर काम किया। सेना, आर्मी, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीईआएफ एवं अन्य बचाव दलों ने 32960 लोगों को रेस्क्यू किया है।

- बाढ़ से 1.14 लाख हेक्टयर की फसल हो गई बर्बाद
- ग्वालियर चंबल अंचल में 35 हजार से ज्यादा लोग बेघर
- किसानों को राहत देने के लिए 72.58 करोड़ की राशि मांगी
- 1000 पंचायत भवन, 1860 स्कूल, 1251 आंगनबाड़ियां बहीं
- पब्लिक सेक्टर को सुधारने 1573.75 करोड़ रुपए की मांग
- निजी क्षेत्र को राहत देने के लिए 505 करोड़ से ज्यादा मांगे

निजी संपत्ति

आठ जिलों में 1.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसल बर्बाद हुई हैं। जिनकी भरपाई के लिए प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 72.58 करोड़ की राशि मांगी गई है। हालांकि मूल नुकसान इससे कई गुना है। बाढ़ में घिरे गांवों एवं शहरों में घरों में रखी गृहस्थी, फसलें एवं अन्य संपत्ति का नुकसान का आंकलन इसमें शामिल नहीं है। 1573 पशु एवं 5977 पक्षी बाढ़ में बह गए। जिसके लिए 2.70 करोड़ की राहत मांग की है। साथ ही 35311 हजार लोग बेघर हो गए हैं। जिनके लिए 349 करोड़ रुपए मांगे गए हैं।

इस तरह किया नुकसान का आंकलन

सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नुकसान का आंकलन राजस्व पुस्तिक परिपत्र के तहत किया। जिसमें पशु हानि पर 25 हजार, मकान नष्ट होने पर 95 हजार रुपए का नुकसान। यदि किसी पीड़ित का घर 10 लाख का था, लेकिन सरकार ने उसे 95 हजार का नुकसान ही माना है। इसी तरह घरों में रखी गृहस्थी, फसलों के नुकसान का आंकलन नहीं किया। पब्लिक सेक्टर में दूरसंचार, रेल, डाक एवं अन्य केंद्रीय सेवाएं प्रभावित हुई हैं। उसका नुकसान भी इसमें शामिल नहीं है।

अभी तक सिर्फ 150 करोड़ के कार्य

सरकार ने अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सिर्फ 150 करोड़ रुपए की राहत बांटी है। जिसमें राहत कार्य भी शामिल हैं। शेष राशि कब मिलेगा, यह अभी तय नहीं है। बाढ आपदा के एक महीने बाद सरकार ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। केंद्रीय दल 20 दिन पहले प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुका है, लेकिन केंद्र की ओर से अभी तक बाढ़ प्रभावितों के लिए चवन्नी की मदद नहीं आई है।

82 गांवों में जिंदगी बेपटरी

दतिया-ग्वालियर में एक महीने बाद भी कई ग्रामीण बेघर, आर्थिक सहायता मिली, पर न मकान बना न मरम्मत हुई

इधर, दो अगस्त को सिंध, पार्वती और नोन नदी में आई बाढ़ से दतिया और ग्वालियर के 82 गांवों में तबाही का मंजर आज भी वैसा ही है, जैसा पहले दिन था। गांव के लोग खेतों में रिफ्यूजी की तरह कैंप या स्कूलों में बने राहत शिविरों में रह रहे हैं। न छत है और न पहनने को कपड़े। सरकार से आर्थिक मदद तो मिली है, लेकिन उससे मकान बनना तो दूर मरम्मत भी नहीं हो पा रही। गांव में गंदा पानी और कीचड़ में पनप रहे मच्छर घुसने नहीं दे रहे। एक महीने बाद भी इन गांवों में जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आती नजर नहीं आ रही। लोग जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मामले में संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना का कहना है कि लगातार आर्थिक सहायता लोगों तक पहुंचाई जा रही है। धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं।

मप्र देश के टमाटर उत्पादक राज्यों में अव्वल

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य है। वहीं अन्य टमाटर उत्पादक राज्यों से भारी मात्रा में आवक होने से टमाटर के थोक दामों में बड़ी गिरावट आ गई है। प्रदेश के कई जिलों में टमाटर की बंपर पैदावार होती है। आंकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश के देवास में टमाटर का थोक भाव इस साल गिरकर आठ रुपए प्रति किलोग्राम हो गया जो एक साल पहले इसी अवधि में 11 रुपए प्रति किलोग्राम था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में टमाटर के चौथे सबसे बड़े उत्पादक राज्य कर्नाटक के कोलार में टमाटर का थोक मूल्य घटकर पांच रुपए तीस पैसे प्रति किलोग्राम रह गया जो एक साल पहले की अवधि में साढ़े 18 रुपए प्रति किलोग्राम था। इसी तरह देश के दूसरे सबसे बड़े टमाटर उत्पादक राज्य आंध्रप्रदेश के चित्तूर जिले की पालमनेर में टमाटर का थोक मूल्य एक साल पहले की समान अवधि के 40 रुपए प्रति किलोग्राम से गिरकर साढ़े अट्ठारह रुपए प्रति किलोग्राम रह गया है। उत्तर प्रदेश में भी कीमतें इस साल गिरकर आठ रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के दायरे में आ गई।

किसानों के सवालों का कृषि वैज्ञानिकों ने दिए जवाब

सागर में सब्जियों की उन्नत तकनीक का पढ़ाया पाठ

संवाददाता, सागर

गत दिवस कृषि विज्ञान केंद्र सागर में डॉ. केएस यादव प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख के मार्ग दर्शन में जल शक्ति अभियान योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में वर्चुअल के माध्यम से किसानों को उद्यानिकी में ड्रिप एवं मल्चिंग द्वारा सब्जियों की उन्नत उत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में डॉ. यादव के द्वारा किसानों को एक जिला एक उत्पाद (टमाटर) के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। आयोजित कार्यक्रम में डॉ. ममता सिंह वैज्ञानिक के द्वारा सोयाबीन में एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में किसानों के द्वारा प्याज एवं टमाटर में लगने वाले रोगो के बारे में प्रश्न पूछे गए जिसका समाधान डॉ. यादव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में एईजी फाउंडेशन के अभिषेक गुप्ता का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में 55 किसानों ने भाग लिया। डॉ. वैशाली शर्मा वैज्ञानिक मृदा विज्ञान का कार्यक्रम में विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, एवं डीपी सिंह नोडल अधिकारी के द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्णत: संपादित किया गया। अंत में डीपी सिंह के द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।

धान, ज्वार और बाजरा समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में इस बार भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीद करेगी। इसके लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा।

बटाई या ठेके पर भूमि लेकर खेती करने वाले पांच हेक्टेयर तक के कृषक भी पंजीयन करा सकेंगे। इसके लिए इन्हें और वनाधिकार पट्टाधारी कृषक को निर्धारित समिति, कृषक उत्पादक संगठन या महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित उपार्जन केंद्रों में ही पंजीयन कराना होगा। धान का समर्थन मूल्य एक हजार 940 रुपए प्रति क्विंटल है। ज्वार दो हजार 738 और बाजरा का मूल्य दो हजार 250 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।

किसानों को बतानी होगी तारीख

नया पंजीयन कराने के लिए किसान को दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपज बेचने के लिए किसान को तीन संभावित तारीख भी बतानी होंगी। भुगतान सीधे किसानों के खाते ममें किया जाएगा। किसान को आवेदन में फसल की किस्म, क्षेत्र, विक्रय योग्य मात्रा, फसल के भंडारण स्थान की जानकारी भी देनी होगी। इसका सत्यापन राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों से कराया जाएगा।

इनका कहना है

पंजीयन की ऑनलाअन प्रक्रिया को और सरल किया गया है। अब किसान पंजीयन एमपी किसान एप, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के साथ महिला स्व-सहायता समूह और कृषक उत्पादक संगठन द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र से भी करा सकते हैं। जिन किसानों ने खरीफ या रबी सीजन में ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया था, उन्हें फिर से दस्तावेज नहीं देने होंगे।

फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

एक गौ अभयारण्य और 16 गौ शालाएं, फिर भी आवारा

सड़क पर गाय, गौ-अभयारण्य खाली

संवाददाता, आगर मालवा

देश के साथ मप्र में भी धार्मिक आस्था का विषय रही गाय अब राजनीति का विषय बनी हुई है। लेकिन गाय के नाम पर बनी योजनाओं, गौ शाला और अभयारण्य में गायों की क्या है स्थिति ये अगर देखना हो तो आगर मालवा में बने मध्य प्रदेश के पहले और एकमात्र गौ अभयारण्य की बानगी पर्याप्त है। यहां आलम यह है कि गाय अनदेखी और सियासी ठोकरें खा रही हैं। गौरतलब है कि आगर मालवा जिले में गायों के संरक्षण के लिए देश का पहला गौ अभयारण्य बनाया गया है। उम्मीद थी कि इसके शुरू होने के बाद सड़कों पर गौवंश लावारिस हालात में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अभयारण्य खुलने के 5 साल बाद भी गाय सड़क पर आवारा भटक रही हैं और अभयारण्य में बनाए गए शेड खाली पड़े हैं। इधर, कांग्रेस के प्रदेश के नेता गायों की हालत के लिए भाजपा की सरकार को दोषी मानते है। यहां दलील दी जा रही है कि हमारी सरकार ने तो नई गौशालाएं खोलकर गाय की हालत सुधारने का प्रयास किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। इसलिए गाय पर राजनीति कर रही है। कमलनाथ सरकार की करनी और कथनी मप्र की जनता देख चुकी है।

उम्मीदों पर फिरा पानी

आगर-मालवा जिले में सितंबर 2017 में गौपूजन के साथ गौ खुला था। लोगों को आस जागी थी कि अब क्षेत्र की हजारों गाय के तो कम से कम हालात सुधर जाएंगे। गायों को सड़कों पर दर-दर की ठोंकरे नहीं खाना पड़ेगीं, लेकिन कुछ समय में ही सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया।

आधे शेड खाली पड़े

शुरुआत में दावा किया गया था कि दस हजार गायों को इस अभयारण्य में रखा जाएगा, लेकिन बाद में 6000 गाय रखने की व्यवस्था की गई। करोड़ों रुपए खर्च कर शेड बनाए गए। सारी सुविधाएं जुटाई गईं। डॉक्टरों से लेकर कर्मचारियों की नियुक्तियां भी की गईं, लेकिन शुरू होने के 5 साल बाद भी इस अभयारण्य में वर्तमान में मात्र 3062 गायों को ही रखा जा रहा है। यानि करीब आधे शेड खाली पड़े हैं।

नई गौशालाएं दिख रहीं जर्जर

गौ अभयारण्य यहां पहले से था उसके बाद जब कमलनाथ सरकार सत्ता में आयी तो जिले में 30 और नयी गौ शालाएं बनाने का एलान कर दिया। अब तक करोड़ों की राशि खर्च कर दी गई है, लेकिन फिर भी गायों को आसरा नहीं मिल सका है, जो गौशालाएं पूरी बनकर तैयार हैं उनका निर्माण कार्य इतना घटिया है कि वो शुरू होते ही जर्जर होने लगी हैं। न तो भाजपा सरकार में और न ही कांग्रेस की सरकार ने इसमे पूरी क्षमता से गायों को रखने के बारे में सोचा।

करोड़ों रुपए खर्च

कमलनाथ सरकार ने जिले में 30 नई गौ शालाएं खोलने की मंजूरी दे दी थी। करोड़ों रुपए में इन गौ शालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से 29 गौ शालाओं का निर्माण कार्य पूरा होना बताया जा रहा है तो 16 गौ शालाओं को शुरू भी कर दिया गया है, जिनमें 1375 गायों को रखा जा रहा है। नई खोली गई गौशालाओं में नए सिरे से सारी व्यवस्था की जा रही है। जबकि जिले में पूर्व से बने गौ अभयारण्य की क्षमता का दोहन किया जा सकता था।

मनरेगा से बनीं गौशालाएं

ये गौशालाएं मनरेगा के तहत बनायी गयी हैं। इनकी गुणवत्ता और हालत तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। ग्राम पंचायत लोलकी ने गौ शालाएं बनवायी थीं। इनमें से कुछ के शेड धाराशायी हो गए हैं। इनकी मरम्मत पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे में गायों की देखभाल की स्थिति के बारे में समझा जा सकता है।

इनका कहना है

गायों को अभयारण्य में कलेक्टर और एसडीएम की अनुमति से ही रखा जाता है। फिलहाल 3062 गाय रखी जा रही हैं। साथ ही 16 नई गौ शालाओं को शुरू कर दिया गया है। उनमें व्यवस्था के लिए गौ संवर्धन बोर्ड जिला पंचायत को प्रति गाय 20 रुपए रोज के हिसाब से देता है।
व्ही कोसरवाल, उपसंचालक, पशुपालन विभाग

» बोनाखेड़ी गांव में किसानों-मजदूरों के बनाए गए फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र

» कृषि मंत्री कमल पटेल ने कलेक्टर छिंदवाड़ा को दिए जांच के आदेश

» पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले का मामला, प्रशासन में हड़कंप

छिंदवाड़ा में 23 जिंदा लोगों को मृत बताकर निकाल लिए मुआवजे के 46 लाख

संवाददाता, भोपाल

किसान कर्जमाफी को लेकर अक्सर चर्चा में रहा छिंदवाड़ा जिला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हालांकि इस बार किसान कर्जमाफी का मामला नहीं है, बल्कि जिले में 23 जिंदा लोगों को ही मृत बताकर मुआवजे के 46 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि जिन्हें मृत बताया गया है, उसमें अधिकांश किसान हैं और कुछ श्रमिक वर्ग यानि मजदूर भी शामिल हैं। वहीं मचे हड़कंप के बाद राज्य सरकार ने आनन-फानन में जांच के आदेश दे दिए हैं। खुलासा होने के बाद कागजों में मृत घोषित लोग खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मामला छिंदवाड़ा के बोनाखेड़ी गांव का है। दरअसल, बोनाखेड़ी गांव के 23 लोगों को सरकारी कागजों में मौत दे दी गई और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उनके नाम से कोरोना गाइड लाइन के तहत दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायत राशि भी शासन से जारी करा ली गई। जिंदा लोगों को जब कागजों में अपने को मृत घोषित कर दिए जाने की जानकारी मिली तो वे अपने जीवित होने के प्रमाणों और दस्तावेजों के साथ छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक तक जा पहुंचे। तब जिला प्रशासन से लेकर राजधानी तक हड़कंप मच गया।

कलेक्टर दर्ज कराएं एफआईआर

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने बोनाखेड़ी गांव में 23 जीवित लोगों के मृत्यु प्रमाण-पत्र बनने संबंधी प्रकरण को गंभीरता से लिया है। मंत्री छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को दूरभाष पर निर्देशित किया है कि प्रकरण की विस्तृत जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई के साथ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएं।

एसआईटी का गठन

फर्जीवाड़े में चार लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जांच अभी जारी है। मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बक्शा नहीं जाएगा। छिंदवाड़ा के बौहनाखेड़ी फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर राशि निकालने के मामले की विस्तृत जांच के लिए 13 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया गया है। यह टीम इस मामले की विस्तृत जांच कर इसमे संलिप्त सभी व्यक्तियों का पर्दाफाश करेगी और विस्तृत रिपोर्ट देगी।

कमलनाथ का गृह जिला

गौरतलब है कि छिंदवाड़ा जिला प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला है। इधर, दावा किया जा रहा है कि बोनाखेड़ी गांव की आबादी 2800 लोगों की है। पिछले दो वर्षों में 106 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं।

इनका कहना है

महज एक गांव में ही 23 जीवित लोगों के फर्जी तरीके से मृत्यु-प्रमाण-पत्र बनना और उनके नाम पर राशि का आहरण करना न केवल चिंताजनक है, बल्कि नियम विरुद्ध भी है। मैंने कलेक्टर से कहा है कि जांच कार्रवाई को बोनाखेड़ी तक ही सीमित न रखें। सम्पूर्ण जिले में जांच करवाएं कि इस प्रकार से कहीं और भी तो गड़बड़ी नहीं हो रही है।
कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, छिंदवाड़ा

कोरोना के नाम पर छिंदवाड़ा में 23 जिंदा लोगों के मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए और यही नहीं, दो-दो लाख की सहायता राशि भी निकाल ली गई। लगता है कोरोना में हुई सरकारी-हत्याओं में कुछ कमी रह गई है। तभी भाजपा सरकार का सिस्टम अब जन-जीवन से खेल रहा है। आखिर मप्र में हो क्या रहा है। कानून व्यवस्था नाम की चीज कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। यह घटन शर्मनाक है।
जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री

तहसीलदार से इस मामले की जांच करवाई जा रही है। मामले में जिले या पंचायत का कोई भी अधिकारी लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे।
अतुल सिंह, एसडीएम, छिंदवाड़ा

यह मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो कोई भी दोषी पाया जाता है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, दोषियों से मुआवजा राशि की भी वसूली की जाएगी।
सीएल मरावी, सीईओ, जिपं छिंदवाड़ा

हर दिन होगी 50 करोड़ के अनाज की खरीदी, पेट्रोल पंप भी खुलेगा

» छावनी कृषि उपज मंडी को सौ एकड़ जमीन पर शिफ्ट करने का प्लान

» 700 व्यापारी मंडी से जुड़े, 20 हजार बोरी प्रतिदिन का व्यापार

इंदौर में बनेगी एशिया की सबसे स्मार्ट कृषि उपज मंडी

संवाददाता, इंदौर

किसानों और कृषि उपज से जुड़े व्यापार को एक नई ऊंचाई देने के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। रोजाना लाखों रुपए का कारोबार करने वाली इस पुरानी कृषि उपज मंडी से हजारों-किसान व्यापारी जुड़े हैं जिससे अब इसका विस्तार जरूरी हो गया है। इसके चलते इसे कैलोद-माचल, ट्रूबा कॉलेज के पास स्थित 100 एकड़ जमीन पर शिफ्ट करने को लेकर विचार चल रहा है। इसके लिए नई जमीन का मौका मुआयना भी अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। संभवत: यह आने वाले दिनों में एशिया की सबसे बड़ी और स्मार्ट उपज मंडी होगी। मंडी को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर बीते दिनों सांसद शंकर लालवानी, क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय, कलेक्टर मनीषसिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस पर विचार-विमर्श किया। अभी मंडी का एरिया लगभग 12 एकड़ है जो अब किसानों और कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों के लिए छोटा पड़ रहा है। यहां आना और व्यापार करना तथा किसानों के लिए अपनी उपज बेचना अब असुविधाजनक होता जा रहा है। ऐसे में इंदौर में सर्व सुविधायुक्त विशाल मंडी परिसर किसानों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा। इससे इंदौर संभाग के किसान लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनवरी में इंदौर में आयोजित बैठक में किसानों के हित में नए मंडी परिसर को विकसित करने का फैसला किया गया था। इसके चलते जल्द इसे शिफ्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह मंडी एशिया की सबसे स्मार्ट मंडी होगी।

» मंडी में हर दिन पहुंचते हैं तीन से चार हजार के करीब किसान

» 500 वाहन रोज आते हैं, 200 किमी दूर तक से आती है उपज

अभी छोटी पड़ रही मंडी

छावनी कृषि उपज मंडी का क्षेत्रफल लगभग 12 एकड़ हैं, जो अब किसानों और कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों के लिए छोटा पड़ रहा है। यहां आना और व्यापार करना तथा किसानों के लिए अपनी उपज बेचना अब असुविधाजनक होता जा रहा है। ऐसे में इंदौर में सर्व सुविधायुक्त एक विशाल मंडी परिसर कृषकों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा। इससे न केवल इंदौर अपितु संभाग के सभी जिलों के किसान लाभान्वित हो सकेंगे।

इनका कहना है

कैलोद गांव के निकट भूमि पर शिफ्ट की जा रही कृषि उपज मंडी एशिया की सबसे स्मार्ट मंडी बनायी जाएगी। यह मंडी कृषकों एवं व्यापारियों की आवश्यकता अनुसार सर्वसुविधायुक्त रहेगी। यहां पर किसानों को अनाज रखने के लिए गोदाम, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए इंटरनेट की सुविधा, पैकेजिंग एवं पॉलिसिंग के लिए आधुनिक मशीनें होंगी। पेट्रोल पंप होगा, किसान बाजार लगेगा, कृषि यंत्र मिल सकेंगे।

मनीष सिंह, कलेक्टर, इंदौर

वर्तमान छावनी मंडी 17 एकड़ में है। अभी औसतन हर दिन 10 से 15 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। विस्तार के बाद यह कारोबार हर दिन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। जनवरी में मुख्यमंत्री के सामने बताए गए विजन डॉक्यूमेंट में इस प्रस्ताव पर सीएम ने मंजूरी दी थी और उन्हीं के निर्देश के तहत इसे अब तेजी से तैयार कराया जाएगा। यहां आगे-पीछे दोनों ओर से एप्रोच रोड है।

शंकर लालवानी, सांसद, इंदौर

शहर के मध्य क्षेत्र में ट्रैफिक को व्यवस्थित करने और किसानों को मंडी में अधिक सुविधाएं देने के लिए बायपास पर कैलोद करताल और माचला गांव की 100 एकड़ जमीन पर प्रदेश की सबसे बड़ी और स्मार्ट मंडी बनाई जाएगी। इसे लेकर रेसीडेंसी में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, मंडी पदाधिकारियों की बैठक हुई और फिर सभी ने जाकर मौके पर करीब दो घंटे तक पूरी जमीन का दौरा किया और प्लान पर चर्चा की।

आकाश विजयवर्गीय, विधायक, इंदौर

सागर में ड्रोन से किया गया सोयाबीन और अमरूद की फसल पर दावा का छिड़काव

■ निजी कंपनी का दावा-15 मिनट में एक एकड़ फसल होगी कवर

■ कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक करेंगे मूल्यांकन और देखेंगे प्रभाव

संवाददाता, सागर

कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर में गरूडा ऐरोस्पेस, चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड की तकनीकी टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के पेस्टीसाइड एवं घुलनशील उर्वरकों का सोयाबीन और अमरूद की फसल पर एग्रीकल्चर ड्रोन द्वारा विशेषकर बायोफर्टीसॉल एवं घुलनशील उर्वरक एनपीके का छिड़काव किया गया। कम्पनी के अनुसार प्रति एकड़ 15 लीटर पानी के साथ संतुलित उर्वरकों और पेस्टीसाइड को अलग-अलग केवल 15 मिनट में एक एकड़ खेत का छिड़काव किया गया। वहीं पर 10 लीटर पानी में संतुलित मात्रा को मिलाकर प्रति 30 अमरूद के पौधों पर छिड़काव किया गया। जिसका कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा मूल्यांकन व प्रभाव देखा जाएगा। इस ड्रोन का मूल्य 6-7 लाख रुपए और वजन 25 किलो है। रिमोट कन्ट्रोल द्वारा होने से समय की बचत, पानी की बचत और आर्थिक रूप से भी भविष्य में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। कम्पनी का दावा है कि लगभग 25 एकड़ फसल पर छिड़काव एक दिन में किया जा सकता है। ड्रोन के प्रदर्शन के अवसर पर वैज्ञानिकों के साथ-साथ लगभग 50-60 देशी डिप्लोमा के छात्र और किसान उपस्थित थे। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. केएस यादव, डॉ. एमपी दुबे, डॉ. एके त्रिपाठी, डॉ. ममता सिंह, डॉ. वैशाली शर्मा और धर्मन्द्र प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा जिस तरह क्षति का आंकलन किया जाता है, ठीक उसी तरह भविष्य में यदि शासन स्तर से एवं वैज्ञानिक तौर पर ड्रोन से कीटनाशी, रोगनाशी और घुलनशील उर्वरकों आदि के छिड़काव के परीक्षण के बाद अनुमति प्रदान की जाती है तो निश्चित तौर पर इस तकनीकी से समय की बचत के साथ-साथ मजदूरों की समस्या और प्रति हेक्टेयर लागत में भी कमी आएगी। विशेषकर इस तकनीकी का उपयोग फलदार वृक्षों में काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)